प्रेस प्रकाशनी

संसद का बजट सत्र, 2011 (15वीं लोक सभा का 7वां सत्र तथा राज्य सभा का 222वां सत्र) सोमवार 21 फरवरी, 2011 से प्रारंभ होना नियत है तथा सरकारी कार्य की आवश्यकताओं के अधीन रहते हुए, सत्र गुरूवार, 21 अप्रैल, 2011 को समाप्त होगा। इस अवधि के दौरान, दोनों सदन बुधवार, 16 मार्च, 2011 को मध्यावकाश के लिए स्थगित होंगे और सोमवार 4 अप्रैल, 2011 को पुन: एकत्र होंगे ताकि विभागीय संसदीय स्थायी समितियां विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से संबंधित अनुदानों की मांगों की जांच कर सकें तथा सदन में अपनी रिपोर्ट दे सकें। इस सत्र में कुल 29 बैठकें होंगी - 17 बैठकें मध्यावकाश से पूर्व सत्र के पहले भाग के दौरान तथा 12 बैठकें सत्र के दूसरे भाग के दौरान।

सत्र के दौरान मुख्य रूप से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और वर्ष 2011-12 के लिए रेल तथा सामान्य बजट से संबंधित वित्तीय कार्य निपटाया जाएगा। तथापि, सत्र के दौरान अनिवार्य विधायी और गैर-विधायी कार्यों के निष्पादन के लिए भी पर्याप्त समय उपलब्ध कराया जाएगा।

सोमवार, 21 फरवरी, 2011 को पूर्वाह्न 11.00 बजे राष्ट्रपति एक साथ एकत्रित संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगी। वर्ष 2011-12 के लिए रेल बजट शुक्रवार, 25 फरवरी, 2011 को लोक सभा में प्रश्न काल के तत्काल पश्चात प्रस्तुत किया जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण शुक्रवार, 25 फरवरी, 2011 को संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। वर्ष 2011-12 के लिए सामान्य बजट सोमवार, 28 फरवरी, 2011 को पूर्वाह्न 11.00 बजे प्रस्तुत किया जाएगा।

बजट सत्र, 2011 हेतु सरकारी कार्य को अंतिम रूप देने के लिए संसदीय कार्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री ने दिनांक 15.02.2011 को विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के सचिवों/वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की थी। बैठक के दौरान, बजट सत्र, 2011 के लिए 75 मदों {66 विधेयक, 08 वित्तीय मदें (प्रस्तुतिकरण के अतिरिक्त) और 01 अन्य मद} का चयन किया गया।

बजट सत्र, 2011 के लिए चुने गए सरकारी कार्य की सूची निम्न प्रकार है:-

I - पुर:स्थापन के लिए विधेयक

1.	कृषि जैव-सुरक्षा विधेयक, 2011
2.	भारतीय जैव प्रौद्योगिकी विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2011
3.	जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्रीय केन्द्र की स्थापना विधेयक, 2011
4.	उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2011
5.	भारतीय मानक ब्यूरो (संशोधन) विधेयक, 2011
6.	वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2011
7.	स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 2011
8.	बैंकिग विधि (संशोधन) विधेयक, 2011
9.	वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षाहित प्रवर्तन (संशोधन) विधेयक, 2011
10.	बैंको और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली (संशोधन) विधेयक, 2011

11.	फैक्टरिंग आफ एसाइनमेंट आफ रिसीवेबल्स विधेयक, 2011
12.	संविधान (संशोधन) विधेयक, 2011 - (वस्तु और सेवा कर)
13.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मानव संसाधन आयोग विधेयक, 2011
14.	राष्ट्रीय शैक्षणिक निक्षेपागार (संशोधन) विधेयक, 2011
15.	राष्ट्रीय उच्च शिक्षा और अनुसंधान परिषद विधेयक, 2011
16.	नवप्रवर्तन के लिए विश्वविद्यालय विधेयक, 2011
17.	चलचित्र विधेयक, 2011
18.	प्रैस और पुस्तकों का रजिस्ट्रीकरण और प्रकाशन विधेयक, 2011
19.	खान (संशोधन) विधेयक, 2011
20.	महाप्रशासक (संशोधन) विधेयक, 2011
21.	खान और खनिज (विकास और विनियमन) विधेयक, 2011
22.	उत्प्रवास प्रबंधन विधेयक, 2011
23.	संविधान (संशोधन) विधेयक, 2011 (एस पी एस सी के अध्यक्ष और सदस्यों की आयु में वृध्दि करना)
24.	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2011
25.	राष्ट्रीय जलमार्ग (बराक नदी का लखीपुर-भंगा खंड) विधेयक, 2011
26.	संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2011
27.	सार्वजनिक परिसर (अप्राधिकृत अधिभोगियों को हटाना) संशोधन विधेयक, 2011
28.	बच्चों का यौन अपराधों से संरक्षण विधेयक, 2011
29.	महिलाओं का अश्लील अभ्यावेदन (निषेध) संशोधन विधेयक, 2011
30.	भूमि अधिग्रहण (संशोधन) विधेयक, 2011
31.	पुनर्वास और पुन:स्थापन विधेयक, 2011
32.	समान अवसर आयोग विधेयक, 2011

II. पुर:स्थापित, विचार और पारित किए जाने वाले विधेयक

1.	वित्त विधेयक, 2011
2.	श्रम विधि (विवरणी देने और रजिस्टर रखने से कतिपय स्थापनों को छूट) संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध विधेयक, 2011
3.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधि (विशेष उपबंध) विधेयक, 2011

III. विचार और पारित किए जाने वाले विधेयक

1.	बीज विधेयक, 2004
2.	संविधान (111वां संशोधन) विधेयक, 2009
3.	नाशक जीवमार प्रबंध विधेयक, 2008
4.	कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2009
5.	चार्टर्ड अकाउण्टेण्ट (संशोधन) विधेयक, 2010
6.	लागत और संकर्म लेखाकार (संशोधन) विधेयक, 2010
7.	कंपनी सचिव (संशोधन) विधेयक, 2010

8.	राष्ट्रीय धरोहर स्थल आयोग विधेयक, 2009
9.	भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) संशोधन विधेयक, 2010
10.	सिक्का निर्माण विधेयक, 2009
11.	जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुदुचेरी (संशोधन) विधेयक, 2010
12.	मानव अंग प्रतिरोपण (संशोधन) विधेयक, 2009
13.	सांप्रदायिक हिंसा (निवारण, नियंत्रण और पीड़ितों का पुनर्वास) विधेयक, 2005
14.	कैदियों का संप्रत्यावर्तन (संशोधन) विधेयक, 2010
15.	लोक सभा द्वारा यथा पारित यातना निवारण विधेयक, 2010
16.	लोक सभा द्वारा पारित किए गए रूप में उड़ीसा (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2010
17.	लोक सभा द्वारा पारित किए गए रूप में संविधान (113वां संशोधन) विधेयक, 2010
18.	लोक सभा द्वारा पारित किए गए रूप में शैक्षणिक अधिकरण विधेयक, 2010
19.	प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2010
20.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2010
21.	प्रतिलिप्यधिकार (संशोधन) विधेयक, 2010
22.	प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) संशोधन विधेयक, 2010
23.	संविधान (114वां संशोधन) विधेयक, 2010
24.	संविधान (108वां संशोधन) विधेयक, 2010
25.	उच्च न्यायालयों का वाणिज्यिक खंड विधेयक, 2009 (राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में)
26.	राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन बोर्ड विधेयक, 2010
27.	यान-हरण निवारण (संशोधन) विधेयक, 2010
28.	बालकों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2010
29.	राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (संशोधन) विधेयक, 2010
30.	वैज्ञानिक नवप्रवर्तन अनुसंधान परिषद विधेयक, 2010
31.	संविधान (110वां संशोधन) विधेयक, 2009

IV. वित्तीय कार्य

1.	प्रश्न काल के तत्काल पश्चात दिनांक 25.2.2011 को वर्ष 2011-12 के लिए बजट (रेल) का प्रस्तुतिकरण
2.	दिनांक 28.2.2011 को पूर्वाह्न 11.00 बजे वर्ष 2011-12 के लिए बजट (सामान्य) का प्रस्तुतिकरण
3.	वर्ष 2011-12 के लिए बजट (रेल) पर सामान्य चर्चा
4.	निम्नलिखित पर चर्चा और मतदान: (क) वर्ष 2011-12 के लिए लेखानुदानों की मांगे (रेल), (ख) वर्ष 2010-11 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल), और (ग) वर्ष 2011-12 के लिए अनुदानों की मांगें (रेल)
5.	वर्ष 2011-12 के लिए बजट (सामान्य) पर सामान्य चर्चा

6.	निम्नलिखित पर चर्चा और मतदान: (क) वर्ष 2011-12 के लिए लेखानुदानों की मांगे (सामान्य), (ख) वर्ष 2010-11 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), और (ग) वर्ष 2011-12 के लिए अनुदानों की मांगें (सामान्य)

V. अन्य कार्य

1.	राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा